उत्तर प्रदेश सरकार
उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड
तुलसी गंगा कॉम्पलेक्स, 19–सी, विधानसभा मार्ग,
उ0प्र0, लखनऊ–226001
दूरभाष–0522–2236172, फैक्स–0522–2235806
Web-www.uppbpb.gov.in

सूचना/विज्ञप्ति

समूह "घ" के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त कर्मचारियों के माध्यम से भरे जाने हेतु पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लिपिक) के 164 रिक्त पदों के सापेक्ष पात्र 70 कार्मिकों की विभागीय परीक्षा के माध्यम से भरे जाने हेतु "उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय संवर्ग सेवा नियमावली–2015 (समय–समय पर यथा–संशोधित) में निहित प्रावधानों के अनुरूप चयन प्रकिया के अर्न्तगत लिखित परीक्षा के आयोजन के सम्बन्ध में।

संख्याः पीआरपीबी–चार–10(15)/2021 दिनांकः जुलाई 12 2022

बोर्ड की सूचना/विज्ञप्ति संख्याः पीआरपीबी–चार–10(15)/2021 दिनांक 29–06–2022 के द्वारा समूह "घ" के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त कर्मचारियों के माध्यम से भरे जाने हेतु पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लिपिक) के 164 रिक्त पदों के सापेक्ष पात्र 70 कार्मिकों की विभागीय परीक्षा के माध्यम से भरे जाने हेतु "उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय संवर्ग सेवा नियमावली–2015 (समय–समय पर यथा–संशोधित) में निहित प्रावधानों के अर्न्तगत टंकण परीक्षा दिनांक 11–07–2022 एवं लिखित परीक्षा दिनांक 15–07–2022 को कराये जाने के सम्बन्ध में पूर्व में सूचना/विज्ञप्ति प्रकाशित करायी गयी थी।

2– उक्त परीक्षा के सम्बन्ध में याची/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी प्रताप देव शर्मा व 09 अन्य द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या–9791/2022 प्रताप देव शर्मा व 9 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य योजित की गयी थी। उक्त रिट याचिका में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 08–07–2022 को सुनवाई के उपरान्त निर्णय पारित किया गया है, जिसके कार्यात्मक अंश निम्नवत हैः–

"..............9. This Court, therefore, direct the respondent to postpone only the written examination for a period of two weeks to enable all candidates to prepare for the same. The typing test be held as notified earlier"

3– मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 08–07–2022 का पूर्ण सम्मान करते हुये समूह "घ" के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त कर्मचारियों के माध्यम से भरे जाने हेतु पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लिपिक) के 164 रिक्त पदों के सापेक्ष पात्र 70 कार्मिकों की विभागीय परीक्षा के माध्यम से भरे जाने हेतु "उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय संवर्ग सेवा नियमावली–2015 (समय–समय पर यथा–संशोधित) में निहित प्रावधानों के अनुरूप चयन प्रकिया के अर्न्तगत दिनांक 15.07.2022 को प्रस्तावित लिखित परीक्षा उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ द्वारा 02 सप्ताह के लिए स्थगित की जाती है।

4– उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ द्वारा उक्त पद हेतु अभ्यर्थियों की टंकण परीक्षा दिनांक 11–07–2022 को सकुशल सम्पन्न करायी जा चुकी है। टंकण परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों की अगले चरण की लिखित परीक्षा करायी जानी है।

5– बोर्ड द्वारा पुलिस उपनिरीक्षक गोपनीय, पुलिस सहायक उपनिरीक्षक, लिपिक एवं पुलिस सहायक उपनिरीक्षक, लेखा नियमावली 2015 यथासंशोधित 2020 में निहित प्रावधानानुसार 164 रिक्त पदों की रिक्तियों के सापेक्ष पदोन्नति की प्रकिया के अर्न्तगत अब **लिखित परीक्षा हेतु दिनांक 01–08–2022 (सोमवार) की तिथि निर्धारित की गयी है।** टंकण परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी ही लिखित परीक्षा में प्रतिभाग कर सकेगें, इस सम्बन्ध में टंकण परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा सम्बन्धी प्रवेश पत्र बाद मे बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त किया जा सकेगा।

6— परीक्षा के दौरान यदि कोई अभ्यर्थी नकल करते हुये अथवा अनुचित संसाधनों का प्रयोग करते हुये पाया जाता है तो बोर्ड द्वारा उसका अभ्यर्थन निरस्त कर उसके विरूद्ध आपराधिक कृत्य हेतु अभियोग पंजीकृत कराया जायेगा। इस सम्बन्ध में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा।

7— यह सूचना सर्वसाधारण के लिए प्रकाशित की जा रही है। अतः जो सूचनायें इस सूचना/विज्ञप्ति के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही हैं, उनके सम्बन्ध मे सूचना का अधिकार अधिनियम—2005 के अर्न्तगत पृथक से कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किये जायेगें और न ही उन पर बोर्ड द्वारा कोई विचार किया जायेगा।

Prasad 12.07.2022

अपर सचिव, प्रोन्नति
उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,
लखनऊ ।